पर्चा डिक्री

न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आरएएस

प्रकरण सं0 : 175/2016

अनवान :

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा जिला हनुमानगढ़।

– वादी

बनाम

1. अनकोरी पत्नी मोतीराम जाति जाट साकिन अलायला।
2. रोशनी मोतीराम जाति जाट साकिन अलायला।
3. राकेश पुत्र मोतीराम जाति जाट साकिन अलायला।
4. सुरेन्द्र मोतीराम जाति जाट साकिन अलायला।

– प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ राजकुमार कस्वा उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष पेरोकार राज एवं वकील प्रतिवादीगण श्री आरीफ मोहम्मद की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वादभूमि में प्रतिवादीगण के हक हिस्सा तक वाद वादी डिक्री किया जाता है कि वाद भूमि ग्राम अलायला के खाता सं0 125 खसरा सं0 240 में प्रतिवादीगण अनकोरी, रोशनी, राकेश, सुरेन्द्र के हिस्सा की खातेदारी कृषि भूमि को सिवाय चक भूमि घोषित की जाती है व तहसीलदार भादरा को आदेश दिया जाता है कि वादभूमि से प्रतिवादीगण को बेदखल कर कब्जा बहक राज्य सरकार प्राप्त करे। वादभूमि में मोबाईल टावर लगा हुआ है जो कि जनोपयोगी सेवा है, जिसे तत्काल बंद किया जाना आम जनता के हितों के प्रतिकूल है। तहसीलदार भादरा मोबाईल दूरसंचार सेवा प्रदाता टेलीकॉम कम्पनी व सम्बंधित टावर कम्पनी के साथ विधिवत प्रक्रिया अपनाकर वादभूमि से अकृषिक कार्य सरंचना मोबाईल टावर हटवाया जाना सुनिश्चित करे। विधिवत प्रक्रिया द्वारा पर्याप्त अवसर देने के उपरांत भी मोबाईल टावर न हटाए जाने पर तहसीलदार भादरा वादभमि से मोबाईल टावर हटाने हेतु स्वतंत्र है। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 10.5.18 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रक से जारी की जाती है।

(राजकुमार कस्वा)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
भादरा, जिला हनुमानगढ

न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आरएएस

प्रकरण सं0 : 175/2016

अनवान :

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा जिला हनुमानगढ़।

– वादी

बनाम

1. अनकोरी पत्नी मोतीराम जाति जाट साकिन अलायला।
2. रोशनी मोतीराम जाति जाट साकिन अलायला।
3. राकेश पुत्र मोतीराम जाति जाट साकिन अलायला।
4. सुरेन्द्र मोतीराम जाति जाट साकिन अलायला।

– प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला हनुमानगढ़

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 177
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
उपस्थिति : पेरोकार राज : **वादी**
वकील श्री आरीफ मोहम्मद : **प्रतिवादीगण**
निर्णय **दिनांक :** 10.5.18

वाद के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम अलायला के खाता सं0 125 खसरा सं0 240 में अनकोरी, रोशनी, राकेश, सुरेन्द्र के नाम खातेदारी दर्ज है। उक्त भूमि को बिना रूपान्तरण करवाये एयरटेल कम्पनी का मोबाईल टावर लगाकर अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग में लिया गया है। प्रतिवादीगण विवादित कृषि भूमि का खातेदार है उक्त खातेदारी भूमि उसे कृषि प्रयोजनार्थ दी गई है जिस पर अन्य गैर कृषि कार्यो में उपयोग के लिए सक्षम स्वीकृति व संपरिवर्तन न कराकर नियमों का उल्लंघन किया है। कोई भी खातेदार अपनी खातेदारी भूमि में कृषि उपयोग के लिए कुल भूमि के 1/50 हिस्से पर निर्माण कार्य कर सकता है, उससे अधिक पर नहीं। प्रतिवादीगण द्वारा खाता सं0 125 खसरा सं0 240 की भूमि को अकृषि कार्य में प्रयोग किया गया है जो धारा 177 का स्पष्ट उल्लंघन है। विवादित कृषि भूमि को खातेदार द्वारा बिना स्वीकृति के 1/50 हिस्से से अधिक भूमि के अकृषि कार्य में उपयोग कर रहा है। प्रतिवादीगण सद्भावी काश्तकार की श्रेणी में नहीं आता है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी की तामील हो चुकी है, प्रतिवादी को जबाब हेतु बार बार समय दिया गया। जबाब पेश नहीं होने पर प्रतिवादीगण की जबाबदेही बन्द की गई।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

साक्ष्य वादी में नीता पुत्री इन्द्रसिंह जाति जाट हाल पटवारी हल्का जनाणा के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यप्रतिलिपि जमाबन्दी चक 2एमआरएन के खाता सं0 21/19 सम्वत् 2072–75 प्रदर्श 1, आंशिक नकल नक्शा चक 2एमआरएन प्रदर्श 2 प्रदर्शित करवाये।

बहस पेरोकार राज की ओर से सुनी गई। अपनी लिखित बहस में पेरोकार राज ने जाहिर किया कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत कृषक को मात्र कृषि उपयोग के लिए खातेदारी अधिकार हासिल है। धारा 177 काश्तकारी अधिनियम के तहत अहितकर कार्य करने या काश्तकारी अधिनियम की शर्तें भंग करने पर (कृषक) खातेदार को बेदखल किया जा सकता है। खातेदार द्वारा वाद भूमि में कृषि जोत से भिन्न कार्य कर जोत का स्वरूप नष्ट कर दिया है। प्रतिवादी द्वारा वाद भूमि को मोबाईल टावर के उपयोग में लिया जा रहा है भूमिधारी द्वारा तत्कालीन पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट के आधार पर वाद दायर किया है जिसकी ताईद में मौके पर आज भी मोबाईल टावर मौजुद है। कृषि भूमि में मोबाईल टावर का निर्माण होने से कृषि उपज नष्ट हो गई है तथा भूमि की किस्म बदल दी गई है। कृषि भूमि को कृषि कार्य से भिन्न उपयोग के लिए विधि के अनुसार सरकार द्वारा नियम बनाये गये है। कृषि भूमि को अकृषि उपयोग के लिए राज्य सरकार द्वारा राजस्थान भू–राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजनों के लिए सम्परिवर्तन नियम 2007) वर्तमान में विद्यमान है लेकिन खातेदार कृषक द्वारा विधि के विरूद्ध मोबाईल टावर का निर्माण किया गया है जो गैर कानूनी है। इस प्रकार वाद भूमि को सिवाय चक घोषित किया जाकर प्रतिवादी/प्रतिवादीगण को भूमि से बेदखल किये जाने का निवेदन किया।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में स्टेट की ओर से भू अभिधारी प्रतिवादीगण के विरूद्ध विवादित कृषि भूमि को अकृषि कार्यों के उपयोग में लिए जाने का मामला है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व नियमों के अनुसार कृषक अपनी काश्तकारी का 1/50 वां हिस्सा या अधिकतम 500 वर्गमीटर अकृषि कार्यों जैसे निवासी, कुआ, पशुशाला, भण्डारगृह के लिए उपयोग में ले सकता है।

धारा 177 में स्पष्ट प्रावधान है कि भू अभिधारी ऐसा कोई कार्य जो जोत की भूमि के लिए अहितकर हो या उसने ऐसी शर्त भंग की हो तो बेदखली का दाई होगा।

हस्तगत प्रकरण में सरकार की ओर से तहसीलदार भादरा के वाद पत्र व साक्ष्य पटवारी रिपोर्ट मौका पर मुख्य परीक्षा से ये साबित है कि भू अभिधारी प्रतिवादीगण अनकोरी, रोशनी, राकेश, सुरेन्द्र ने कृषि भूमि का मोबाईल टावर के रूप में बिना किसी विधि सम्मत आदेश, सम्परिर्वतन आदेश, लाईसेंस, परमिट के किया है। अत : अकृषि कार्य जोत के कृषि प्रयोजन के प्रतिकूल है। चूंकि प्रतिवादीगण को जबाब हेतु समय दिया गया किन्तु जबाब पेश नहीं होने के कारण जबाब देही बन्दी की गई। दूसरी तरफ वादी अपने पक्ष को साबित करने में सफल

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

रहा है व प्रतिवादी ग्राम अलायला के खाता सं0 125 खसरा सं0 240 में खातेदार काश्तकार है।

अतः वादभूमि में प्रतिवादीगण के हक हिस्सा तक वाद वादी डिक्री किया जाता है कि वाद भूमि ग्राम अलायला के खाता सं0 125 खसरा सं0 240 में प्रतिवादीगण अनकोरी, रोशनी, राकेश, सुरेन्द्र के हिस्सा की खातेदारी कृषि भूमि को सिवाय चक भूमि घोषित की जाती है व तहसीलदार भादरा को आदेश दिया जाता है कि वादभूमि से प्रतिवादीगण को बेदखल कर कब्जा बहक राज्य सरकार प्राप्त करे। वादभूमि में मोबाईल टावर लगा हुआ है जो कि जनोपयोगी सेवा है, जिसे तत्काल बंद किया जाना आम जनता के हितों के प्रतिकूल है। तहसीलदार भादरा मोबाईल दूरसंचार सेवा प्रदाता टेलीकॉम कम्पनी व सम्बंधित टावर कम्पनी के साथ विधिवत प्रक्रिया अपनाकर वादभूमि से अकृषिक कार्य सरंचना मोबाईल टावर हटवाया जाना सुनिश्चित करे। विधिवत प्रक्रिया द्वारा पर्याप्त अवसर देने के उपरांत भी मोबाईल टावर न हटाए जाने पर तहसीलदार भादरा वादभमि से मोबाईल टावर हटाने हेतु स्वतंत्र है। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 10.5.18 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला हनुमानगढ

(राजकुमार कस्वा)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
भादरा, जिला हनुमानगढ